टिप्पणी

25

चिर-स्थायी या धारणीय विकास

आज पृथ्वी की बढ़ती हुई भंगुरता से संबंधित अनेक चिंताएं हो रही हैं। पृथ्वी पर बढ़ती हुई जनसंख्या एक खतरे के रूप में विकसित हो रही है। मनुष्य के विवेकहीन कृत्यों के कारण पृथ्वी की पर्यावरणीय प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वैश्विक नागरिक होने के नाते हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी क्रियाओं का प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर पड़ता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास का पथ जिसका अनुसरण हम कर रहे हैं वह पृथ्वी के पर्यावरण तथा इसमें रहने वाले सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। यह तभी संभव है जब राष्ट्रों के बीच में समन्वय स्थापित होगा।

''धारणीय विकास'' प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग तथा उपयोग की दर से संबंधित है। आज यह सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया जा रहा है कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग उस दर से न करें जिससे कि उन्हें दीर्घकाल के लिए बनाए रखना या प्रतिस्थापित करना संभव न हो। यदि हम कार का प्रयोग करते हैं तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम पर्यावरण-सहिष्णु ईंधन तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें जो कि प्रदूषण को न्यूनतम बनते हैं। यदि हम भू-जल (Ground water) का प्रयोग करते हैं तो यह हमारा दायित्व है कि वर्षा जल हार्वेस्टिंग आदि विभिन्न तकनीकों के माध्यम से इसे पुनरू संचयित किया जाए।

इस प्रकार, 'धारणीय विकास' उत्तरदायी विकास है। यह आर्थिक विकास है जिसके दौरान समाज तथा पर्यावरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। यह एक समेकित विकास है जो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है। यह विकास समाज के सभी वर्गों के लिए है और यह पृथ्वी के पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना होता है।

उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप:

- 'धारणीय विकास' के अर्थ को जान पाएंगे;
- 'धारणीय विकास' के महत्व और आवश्यकता को समझ पाएंगे;
- राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'धारणीय विकास' की उत्पत्ति की समझ पाएंगे;
- भारत में 'धारणीय विकास' संबंधी कानूनों को पहचान पाएंगे;
- 'धारणीय विकास' को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की भूमिका को समझ पाएंगे।

25.1 धारणीय विकास की अवधारणा और अर्थ

25.1.1 धारणीय विकास क्या है?

सन् 1987 में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 'ब्रंटलैंड रिपोर्ट' जारी की थी, जिसमें 'धारणीय विकास' की वह परिभाषा शामिल है जो आज सर्वाधिक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है : ''धारणीय विकास वह विकास है जो अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है'' (पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग (ब्रंटलैंड आयोग) रिपोर्ट ''हमारा साझा भविष्य''।

इसी रिपोर्ट के अनुसार, उपर्युक्त परिभाषा में इसकी दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल हैं :

- 'आवश्यकताओं' की अवधारणा, विशेष रूप से विश्व के गरीबी लोगों की अनिवार्य आवश्यकताएं; एवं
- वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण की क्षमता पर प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक संगठन द्वारा लगाई गई सीमाओं की अवधारणा।

इसका अर्थ है कि हमें समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी विशेष रूप से शोषित वर्ग की आवश्यकताएं। आवश्यकताओं को पूरा करते समय हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जो कुछ भी प्रकृति से लेते हैं वह पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के अवक्रमण (degradation) में वृद्धि तथा जैवविविधता के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करता है। प्रकृति सीमित है और हमें प्राकृतिक संसाधनों के अपने उपभोग की सीमित करना होगा। समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए नीतिगत दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।

धारणीयता विश्व के उस एकीकृत विचार को महत्व प्रदान करती है जो समुदाय की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज को जोड़ता है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि अर्थव्यवस्था समाज के भीतर ही विद्यमान होती है और समाज पृथ्वी की पर्यावरणीय प्रणाली के भीतर विद्यमान है। यह विचारधारा इस तथ्य को उजागर करती है कि मनुष्य प्रकृति का ही भाग हैं।

चित्र 1 धारणीय विकास और समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच के संबंध को दर्शाता है:

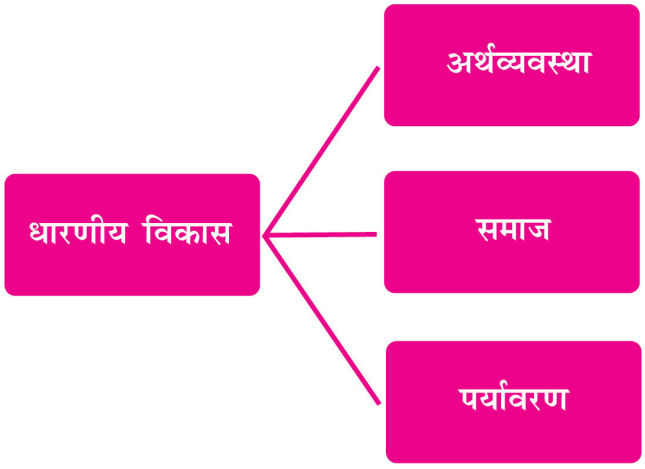

चित्र 1: धारणीय विकास, समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच संबंध

अधारणीयता के क्या कारण है?

आइए हम धारणीय विकास के खतरों को समझने का प्रयास करें।

आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता तथा पर्यावरणीय निम्नीकरण धारणीयता के लिए घातक हैं।

अधारणीयता के कुछ कारण निम्न हैं :

- मानव जनसंख्या में वृद्धि;
- मनुष्य की आवश्यकताओं जैसे ईंधन, चारा और घर को पूरा करने के लिए संसाधनों का अधिक दोहन;
- गतिविधियां जैसे मछली पकड़ना, कृषि, स्वच्छ जल का आवश्यकता से अधिक प्रयोग, निर्वनीकरण तथा औद्योगिकीकरणी;
- भूमि का साफ करना जिसके कारण मृदा निम्नीकरण, प्रदूषण, जैव-विविधता की हानि, निर्वनीकरण, मरूस्थलीकरण, पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है; एवं
- बढ़ती हुई बेरोजगारी, स्वास्थ्य संबंधी संकट, सशस्त्र लड़ाइयां, शहरीकरण, गरीबी तथा आय की असामानता जैसे कारकों के कारण सामाजिक अपकर्षण।

पाठगत प्रश्न 25.1.1

1. "धारणीय विकास" को परिभाषित करें।
2. धारणीय विकास के समक्ष कौन से संकट हैं?

25.1.2 धारणीय विकास के घटक क्या हैं?

धारणीयता के विभिन्न घटकों को तीन शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है - आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। धारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन तीनों क्षेत्रों में धारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए संस्थागत तंत्र विद्यमान हो। ये संस्थागत तंत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि समाजिक आर्थिक तथा पर्यावरणिक धारणियता प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर निरंतर, संगठित तथा समन्वयित प्रयास किए जाएं। इसमें केन्द्र तथा राज्य स्तर पर विभिन्न मंत्रालय तथा विभाग शामिल हैं।

आगामी खंडों में दर्शाए गए चित्र अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण के विभिन्न भागों को दर्शाते हैं, धारणीय विकास के लिए जिन्हें लक्ष्य बनाया गया है।

चित्र 2 अर्थव्यवस्था के व्यापक घटाकों को दर्शाता है। चित्र 3 समाज के व्यापक घटकों को तथा चित्र 4 पर्यावरण के व्यापक घटाकों को दर्शाता है।

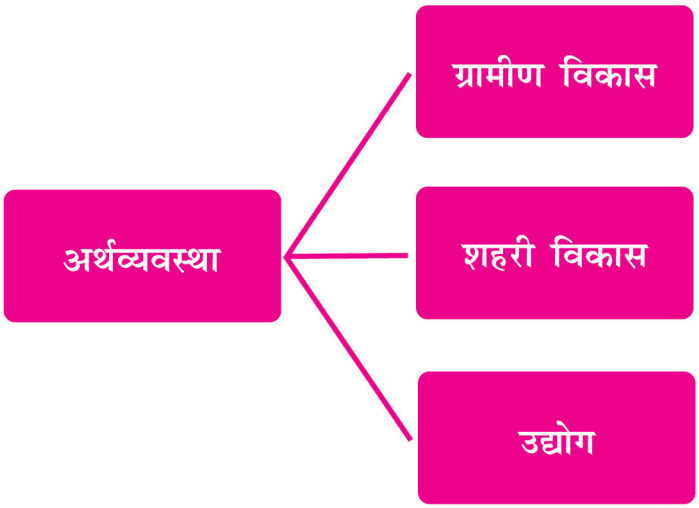

चित्र 2: अर्थव्यवस्था के धारणीय विकास के लिए कुछ लक्षित क्षेत्र

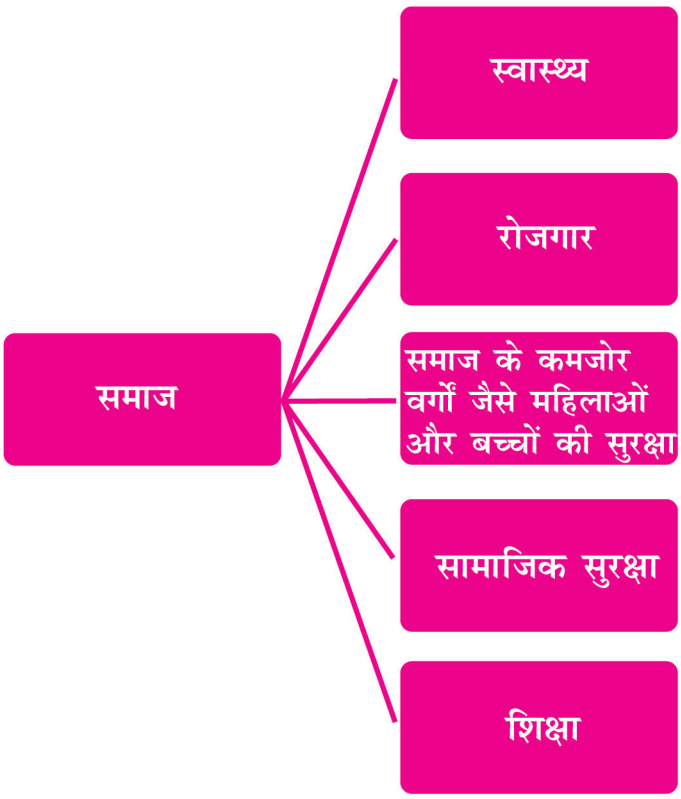

चित्र 3: समाज में धारणीय विकास के लिए कुछ लक्षित क्षेत्र

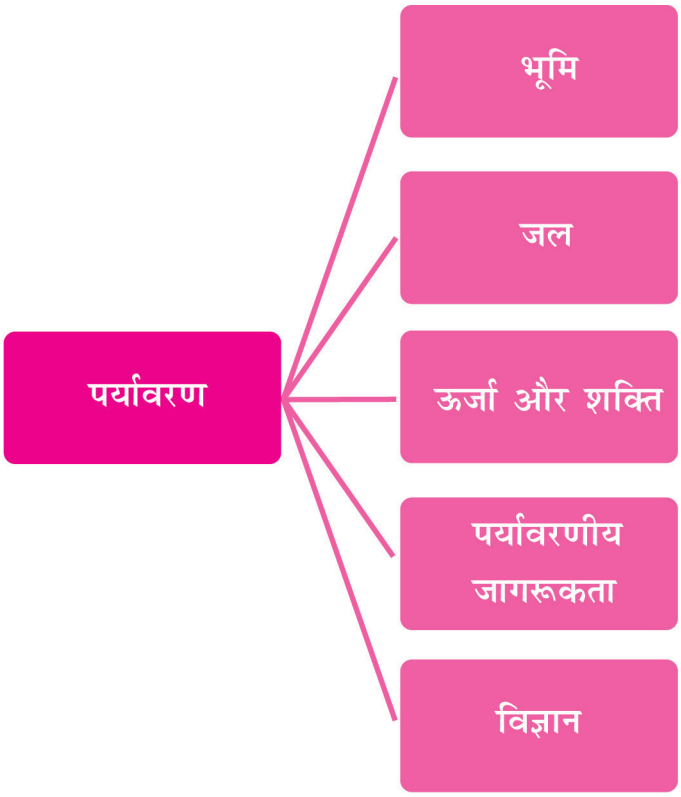

चित्र 4: समाज में धारणीय विकास के लिए कुछ लक्षित क्षेत्र

सन् 1980 के आसपास भारतीय कानून प्रणाली ने विशेष रूप से पर्यावरणीय कानून के क्षेत्र में अपने परम्परागत परिदृश्य की दृष्टि से व्यापक परिवर्तन किए थे और इसे न केवल प्रशासन तथा 'विधायी सक्रीयतावाद' ने बल्कि 'न्यायिक सक्रियतावाद' ने भी द्वारा चिहिन्त किया गया था। ''न्यायिक सक्रियतावाद'' से तात्पर्य संवैधिनिक अधिकारों के नए और सृजनात्मक व्याख्यान को अपना कर इसनी परिधि में विस्तार करके भरतीय न्यायालयों द्वारा सक्रीय भूमिका से है। प्रशासिनिक एजेंसियों की शक्तियों और कार्यों के क्षेत्र का निर्धारण करने और पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए, न्यायालयों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और भविष्य में भी करते रहेंगे। न्यायालायों की इस सक्रियतावाद को जन हित याचिका (पीआईएल)

पाठगत प्रश्न 25.1.2

1. धारणीय विकास के घटक कौन से हैं?
2. क्या आप अर्थव्यवस्था के धारणीय विकास के लिए कुछ लक्षित क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं?
3. कौन सा मंत्रालय लोगों के स्वास्थ्य संबंधी विषयों को देखता है?
4. उदाहरण देकर बताएं कि पर्यावरण के निम्नीकरण को किस प्रकार कम किया जा सकता है।

25.2 उत्पति और विकास (रूस्टॉकहोम से रियो तक)

25.2.1 स्टॉकहोम घोषणा 1972

वैश्विक अंतर-सरकारी कार्य सन् 1972 में स्टॉकहोल्म में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से आरम्भ हुए। इस सम्मेलन का परिणाम 'स्टॉकहोल्म घोषणा' और पर्यावरणीय आकलन, प्रबंधनतथा सहायक उपायों पर 100 से अधिक सिफारिशों पर कार्य योजना है। स्टॉकहोम का नारा था ''केवल एक पृथ्वी''। पर्यावरणिक परिचर्चा ''विकास की सीमाएं'' पर रोम क्लब की रिपोर्ट और आर्थिक विकास पर वार्ता (धारणीय विकास के अगुवा) पर केन्द्रित थी। इस रिपोर्ट में अप्रतिबंधित विकास के परिणामों और अनेक वैश्विक समस्याओं के बीच के संबंधों को दर्शाती है।

ब्रंटलैंड आयोग, 1983

'स्टॉकहोम घोषणा' के बाद की पर्यावरणिक चिंताए बढ रही थी। व्यापक स्तर पर निर्वनीकरण, औद्योगिक प्रदूषण, पर्यावरणिक अवक्रमण हो रहा था। आजोन छेद, पृथ्वी का गर्म होना, पर्यावरण में कार्बनडाइआक्साइड की मात्रा में वृद्धि ने भी पर्यावरणीय चितांओं को बढाया है।

पर्यावरणिक मुद्दों को औद्योगिक विकास और वृद्धि के साथ जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, 1983 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ''पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग'' की स्थापना की थी और इसे सामान्य रूप से ''ब्रंटलैंड आयोग'' भी कहा जाता है। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट 'अवर कॉमन फ्यूचर इन 1983' में धारणीय विकास को उसी रूप में परिभाषित किया गया है जैसा कि हमने पहले चर्चा की है - ''अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला विकास''।

'रियो घोषणा 1992' - 'एजेंडा 21'

स्टॉकहोम के बीस वर्षों के पश्चात सन् 1922 में रियो दी जिनेरो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे 'अर्थ समिट' भी कहा जाता है और इसमें 'रियो घोषणा' को स्वीकार किया गया था और 'एजेंडा 21' नामक 40 अध्यायों की कार्य योजना को 100 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया।

'एजेंडा 21' को इक्कीसवी सदी में धारणीय विकास को प्राप्त करने की और अग्रसर किया गया था। 'रियो अवधारणा' को सार रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

- पर्यावरण, समाज तथा अर्थव्यवस्था को समान महत्व;
- भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अंतर-पीढ़िय एकता एकता;
- राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर वैश्विक सर्वसम्मति और राजनैतिक प्रतिबद्धता;
- गैर-सरकारी संगठनों की साझेदारी;
- सरकारों के लिए पर्यावरण एवं जनसंख्या की आवश्यकताओं के बी सन्तुलन बनाए रखने के लिए एक रूप-रेखा बना देना;

- 'रियो करारों' पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए धारणीय विकास पर एक आयोग की स्थापना की गई थी और यह स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर 'अर्थ समिट' के करारों की मॉनीटरिंग करता है।

रियो शिखर सम्मेलन

रियो शिखर सम्मेलन के पश्चात धारणीय विकास के संबंध में अनेक अन्य सम्मेलन आयोजित हुए। इन सम्मेलनों में शामिल हैं - 'सन् 1994 में बार्बाडोस में ''छोटे महाद्वीप विकासशील राष्ट्रों के धारणीय विकास पर वैश्विक सम्मेलन : सन् 1995 में कॉपिंगम में ''सामाजिक विकास पर विश्व शिखरसम्मेलन'' : सन् 1995 में बीजिंग में ''चौथा महिला विश्व सम्मेलन'' तथा सन् 1996 में इस्तांबुल में ''मानव बस्तियों पर दूसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हैबिटेट-II''.

इसका मुख्य ध्येय पर्यावरणिक प्रणाली के सभी भागों, चाहे वह भूमि, जल या वायु हो, में धारणीय विकास के पथ का अनुसरण करनाथा। प्रयास यह भी थे कि समाज में समग्र विकास हो, जो कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों या गरीबों पर विशेष ध्यान देते हुए जनसंख्या के सभी वर्गों तक पहुंचे।

'अर्थ समिट' की प्रगति की पांच वर्षीय समीक्षा करने के लिए सन् 1997 में संयुक्त राष्ट्र जनरल एसेंबली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके पश्चात दस वर्षीय समीक्षा के लिए सन् 2002 में धारणीय विकास विश्व शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसएसडी) आयोजित किया गया। यह सम्मेलन जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। इसमें राष्ट्रों से अनुरोध किया गया था कि वे धारणीय विकास के लिए नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए के लिए कार्य करें और इन्हें सन् 2005 से क्रियान्वित करें।

पाठगत प्रश्न 25.2.1

1. स्टॉकहोम घोषणा की मुख्य विषयवस्तु क्या है?
2. धारणीय विकास आयोग स्थापना क्यों की गई थी?
3. डब्ल्यूएसएसडी (WSSD) से क्या तात्पर्य है और इसकी कार्य सूची क्या है?

25.2.2 सहस्राब्दी विकास लक्ष्य

सन् 2003 में विश्व के नेतृत्व की सबसे बड़ी बैठक में सन 2015 तक गरीबी, भूख, रोग, निरक्षरता, पर्यावरणीय निम्नीकरण तथा महिलाओं के प्रति भेदभाव से लड़ने के लिए समयबद्ध तथा निर्णायक लक्ष्यों के समूह पर सहमति व्यक्त की गई थी। इसे ''सहस्राब्दी विकास लक्ष्य'' कहा गया है।

कुछ देशों द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों और करारों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार प्रस्तुत है :

सन् 2004 में दिल्ली ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सिविल सोसाइटी के दबाव के कारण शहरी बसों तथा ऑटो रिक्शाओं में सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है।

सन् 2005 में, **'क्योटा प्रोटोकॉल'** के अंतर्गत करार किया गया जो विकसित देशों को ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लक्ष्य निर्धारित करने और विकासशील देशों के लिए स्वच्छ विकास तंत्र की स्थापना हेतु लक्ष्य निर्धारित करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है।

सन् 2007 में **'मांट्रियल प्रोटोकॉल'** के तहत उन तथ्यों के संबंध में करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जो ओजोन परत को समाप्त कर रहे हैं। देशों में हाईड्रो क्लोरोफ्लोरो कार्बन (HCFC) के प्रयोग को चरणबद्ध आधार पर समाप्त करने पर सहमति हुई थी। नासा (NASA) बताया है कि आजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है क्योंकि **'मांट्रियल प्रोटोकॉल'** के समाप्त किए जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप सीएफसी की सांद्रता में कमी हुई है।

सन् 2008 में, **'हरित अर्थव्यवस्था'** के दृष्टिकोण ने मुख्य धारा में प्रवेश किया। राष्ट्रीय सरकारों ने पर्यावरणीय कार्यों को आगे और विकसित करने के लिए अधिक निधियों का आवंटन किया और हरित विकास भावी अर्थव्यवस्था के लिए नए उद्देश्य बन गए। सन् 2008 में विज्ञानिकों ने यह भी पाया पर्यावरणीय कार्बन-डाईआक्साइड के स्तरों में वृद्धि होने के कारण महासागरों में अधिक अम्ल विकसित हो रहा है। विज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि इसके पृथ्वी की पारितंत्र (ecosystem) पर घातक परिणाम होंगे।

सन् 2009 में **'कॉपिंगम जलवायु वार्ताएं'** आयोजित की गईं। बहरहाल, इसमें भाग लेने वाले देश सन् 2012 (क्योटा प्रोटोकाल की समय सीमा) के उपरांत नए उत्सर्जन निवारण प्रतिबंधों संबंधी सहमति पर नहीं पहुंच पाए। इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि उत्सर्जनों को कम करने का केन्द्र अब राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की ओर मुड़ गया था।

सन् 2009 में जी **20 पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन** आयोजित किया गया। जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोल और डीजन को और अधिक बनाने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था ताकि इन ईंधनों के प्रयोग को धीर-धीरे समाप्त किया जा सके। इस सम्मेलन में सेबसे गरीब लोगोंके लिए लक्षित सहायता उपलब्ध कराने पर भी सहमति हुई।

सन् 2011 में **'डर्बन'** में वातावरण परिवर्तन वार्ताएं आयोजित की गईं थीं। इन वार्ताओं में **'क्योटा सम्मेलन'** से एक कदम आगे बढते हुए अंतरराष्ट्रीय करार स्थापित करने की और कदम बढ़ाया गया था। विकसित तथा अनेक विकासशील देशों सहित सभी देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी करने पर सहमति व्यक्त की थी।

सन् 2012 में **'सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों'** के सबसे पहले लक्ष्य को प्राप्त किया गया था जो कि 2015 की अपने लक्षित समयसीमा से पहले पूरा कर लिया गया था : विश्वभर में बिना सुरक्षित जल की सुविधा के अभाव वाले लोगों संख्या को आधा कर दिया गया था।

सन् 2012 में **दोहा में संयुक्त राष्ट्र वातावरण परिवर्तन सम्मेलन** आयोजित किया गया था। इस सम्मेलने में 2012 में समाप्त होने वाले क्योटो प्रोटोकाल को 2020 तक बढाए जाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। यह भी सहमति हुई थी कि डर्बन में हुए करार को परिवर्तित करके 2015 तक किया जाएगा और इसे 2020 तक क्रियान्वित किया जाएगा।

सन् 1972 के **स्टॉकहोम घोषणा** से लेकर सन् 2012 में दोहा में आयोजित नवीनतम सम्मेलन तक लगभग चालीस वर्ष बीत चुके हैं। हम अपने गृह को हरा बनाने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को विकसित करने में सक्रीय रूप से शामिल हैं। विश्व, एक इकाई के रूप में भूख, बीमारी, निरक्षरता, असमानता को कम करने और ऐसी ही अनेक समस्याओं से लड़ने के प्रति प्रतिबद्ध है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें और वो भी बिना भावी पीढ़ी की कीमत पर।

पाठगत प्रश्न 25.2.2

1. **''सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों''** से आपका क्या तात्पर्य है?
2. **''क्योटा-प्रोटोकॉल''** क्या है?
3. किसी प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्र हाईड्रो-क्लोरोफ्लोरो कार्बन को समाप्त करने पर सहमत हुए थे?
4. कहां और कब विभिन्न राष्ट्र 2012 में समाप्त होने वाले **'क्योटो प्रोटोकॉल'** को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए थे।

25.3 धारणीय विकास की आवश्यकता

विश्व समग्र रूप से पर्यावरणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के प्रति अटल है। धारणीय विकास की कार्यसूची भी समग्र विकास पर आधारति है। इसका अर्थ है कि विकास के प्रारूप में समाज के सभी वर्ग -प्रबुद्ध, गरीब, पुरूष तथा महिलाएं सभी शामिल हैं। विकास का इस प्रकार का प्रारूप पारितंत्र की विविधता के संरक्षिण की आवश्यकता पर आधारित है। धारणीय विकास में शामिल हैं :

- भूमि, स्वच्छ-जल और समुद्रीय प्रणालियों में जैविक विवधता का संरक्षण;
- संसाधनों का धारणीय उपयोग और संसाधनों के विनाश को न्यूनतम बनाना;
- पर्यावरण का ध्यान रखना;
- सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र सहित जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना;
- प्राकृतिक पूंजी अर्थात नवीकरणीय तथा नश्वर संसाधनों का संरक्षण;
- प्राकृतिक व सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण;
- प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और अपशिष्ट के समावेशन पर सीमाएं;
- सभी समाजों द्वारा संसाधनों के उपयोग में कुशलता;
- गरीबी उन्मूलन तथा लिंग समानता के द्वारा सामाजिक समानता;
- पर्यावरणीय - ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना;
- ओजोन हानिकारक तत्वों के प्रयोग में कमी;

- रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी करना;
- मरूस्थलीकरण को रोकना; एवं
- निर्वनीकरण को रोकना।

पाठगत प्रश्न 25.3

1. ''धारणीय विकास'' की आवश्यकता क्यों है? धारणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन्ही दो महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख करें।
2. धारणीय विकास की कार्यसूची (Agenda) क्या है?

25.4 भारतीय कानून में धारणीय विकास

स्टॉकहोम और रियो सम्मेलनों के पश्चात विश्वभर के देशों ने धारणीय विकास के तीन स्तंभों से संबंधित अनेक कानूनों को अपनाया है। भारत ने भी इस संबंध में अनेक कानूनों को लागू किया है। बहरहाल, जहां तक कानून का लागू करने का प्रश्न है संबंधित राष्ट्र इन कानूनों के क्रियान्वयन या गैर-क्रियान्वयन के लिए हिचकिचाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कई बार यह कहा है कि भारतीय कानून उन अंतरराष्ट्रीय संधियों और अभिसमयों से बाध्य है जिनमें वह एक हस्ताक्षरकर्ता पक्ष है।

प्रायरू भारत में न्यायपालिका कानून के क्रियान्वयन में आगे रहती है। धारणीय विकास पर भारतीय कानून को चार विशिष्ट किन्तु अतिव्यापी चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये चरण निम्नानुसार हैं :

25.4.1 प्रथम चरण (1972-1983)

इस चरण में पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। यह चरण व्यापक स्तर पर सन् 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से प्रभावित था जिसमें सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के लिए पर्यावरण संरक्षण के उपायों को अपनाना अपेक्षित था। वन्य जीवन को सुरक्षित रखने तथा जल व वायु प्रदूषण को रोकने के लिए संवैधानिक संशोधन और विधानों का निर्माण इसकी मुख्य विशेषताएं थीं।

हमारी न्यायपालिका में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है जो नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायलय में अपील करने का अधिकार प्रदान करते हैं। संविधान के **अनुच्छेद-226** में नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि वे अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और उच्च न्यायालय को इस संबंध में विभिन्न आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों का लागू करनाने के लिए भारत के नागरिक भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 32** का प्रयोग कर सकते हैं। संविधान का **अनुच्छेद 21** नागरिकों के एक

महत्वपूर्ण मालिक अधिकारकीगारंटी प्रदान करता है और उसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 21 में निहित इस ''जीवन के अधिकार'' को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अत्यंत व्यापक व्याख्या प्रदान की गई है। राज्य नीति के एक निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 48-क में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की संरक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्यजीवन को सुरक्षा प्रदान करने के प्रति प्रयासरत रहेगा।

भारत ने सन् 1976 में संविधान में **42वें संशोधन** को क्रियान्वित किया था। इस संशोधन के माध्यम से **अनुच्छेद 48**-क लागू किया गया, जिसके तहत पर्यावरण, वनों और वन्यजीवन का संरक्षण व संवर्धन राज्य नीति का निर्देशाक सिद्धांतों का भाग बन गया। **अनुच्छेद 51क (छ)** के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण को सभी नागररिकों का मौलिक दायित्व बना दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण से संबंधित अनेक अधिनियमों का सृजन किया गया था अर्थात वन्यजीवन (संरक्षण अधिनियिम), 1972, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981.

25.4.2 दूसरा चरण (1984-1997)

इस चरण में सामाजिक समानता और न्याया पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। सन् 1984 में **'भोपाल गैस त्रासदी'** की प्रतिक्रिया के रूप में न्यायिक सक्रीयतावाद में व्यापक वृद्धि हुई जिंसके परिणामस्वरूप मौजूदा कानूनों और विधानों की पुन:व्याख्या हुई।

सन् 1987 में **'वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981'** में प्रमुख आशोधन किए। 1991 में अधिसूचित जोखिमपूर्ण पदार्थों की हैंडलिंग से हुई दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों को **''अदोष आधार पर''** तत्काल राहत प्रदान करने के लिए जन दायित्व बीमा अधिनियम तैयार किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत खतरनाक पदार्थों का कार्यकरने वाले सभी उद्योगों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे पीड़ितों को या सम्पत्ति को क्षति से तत्काल राहत पहुंचाने के लिए लोक दायित्व बीमा ले।

'रियो घोषणा', जिसमें सभी राष्ट्रों को प्रदूषण तथा अन्य पर्यावरणीय खतरों से पीड़ितों के प्रतिदायित्वों और क्षतिपूर्ति संबंधी काननों को विकसित करने का कहा गया था, की प्रतिक्रिया में दो अधिनियमों को बनाया गया था अर्थात राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 (निरस्त) तथा राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम। इन्हें बाद में निरस्त करके नए **'राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण' अधिनियम, 2010** द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

सन् 1986 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA) बनाया गया था। इस अधिनियम का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है और यह प्रदूषण को स्रोत पर ही रोकने तथा प्रदूषक द्वारा प्रदूषण के लिए भुगतान किए जाने के सिद्धांत पर कार्य करता है और नीति निर्धारण में जनसाधारण की भागीदारी पर भी बल देता है। सन् 1994 में पर्यावरणप्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना जारी की गई थी, इसे 2006 में संशोधित किया गया था और अद्यतन संशोधन 2009 में जारी किया गया है। पर्यावरण प्रभाव आकलन के अंतर्गत अनेक गतिविधियों और उद्योगों के लिए पर्यावरणीय क्लियरेंस लेना अनिवार्य है जिसमें प्रक्रिया के अनुसार जनसाधारण की भागीदारी भी

शामिल है। महत्वपूर्ण रूप से **'रियो'** के पश्चात इनमें से अनेक पर्यावरणीय सिद्धांतों को अनुच्छेद 21 (दायें से बाएं) के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है।

पर्यावरण के संरक्षाण और प्रदूषण के निवारण के लिए अन्य विधान तैयार किया गया है अर्थात मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ताकि वाहनों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।

पाठगत प्रश्न 25.4.1 और 25.4.2

1. भारत में पर्यावरण कानून के प्रथम चरण में किस ओर ध्यान केन्द्रित किया गया था?
2. संविधान के अनुच्छेद 51क (छ) के महत्व का उल्लेख करें।
3. 'भोपाल गैस त्रासदी' कब हुई थी?
4. 'रियों घोषणा' पर भारतीय विधि निर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया थी?

25.4.3 तीसरा चरण (1998-2004)

तीसरा चरण सन् 1998 में भारत की विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की सदस्यता से संबंधित है। इस चरण में सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों के साथ आर्थिक विकास को संयोजित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। जैविक विवधता सम्मेलन (सीबीडी) के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों (टीआरआईपीएस) के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर करार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विधान बनाए गए और मौजूदा विधानों में संशोधन किए गए।

'जैविक विवधता सम्मेलन (CBD)' के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए **जैविक विवधता अधिनियम, 2002** पारित किया गया। विधानों का उद्देश्य देशों का अपने आनुवांशिक तथा जैविक संसाधनों पर स्वायत्त अधिकारों को सुनिश्चित करना और स्वदेशी ज्ञान के धारकों द्वारा जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों की प्राप्त करने की आवश्यकता को स्वीकार करना है।

पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 में वस्तुओं के स्वदीशी ज्ञान के दुर्विनियोजना को रोकने के लिए उसे गैर-पेटेंटीय बनाकर उसके संरक्ष्ण का प्रावधान है। वस्तुओं के भौगोलिक लक्षण (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 में ग्रामीण तथा स्वदेशी समुदायों में उनके विशिष्ट उत्पादों के संयुक्त अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत इस चरण में अपशिष्ट प्रबंधन और पदार्थों जैसे प्लास्टिक आदि की रीसाइकलिंग से संबंधित अनेक गौण विधानों को भी पारित किया गया था। इनमें शामिल हैं :

- नगरपालिका स्थूल अपशिष्ट (प्रबंधन और सम्भलाई) नियम, 2000;
- पुनर्चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और प्रयोग नियम, 1999;

टिप्पणी

- खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण ओर आयात (संशोधन) नियम, 2000;
- बैटरी (प्रबंधन और सम्भलाई) नियम, 2001;
- ओजोन अवक्षय पदार्थ (विनियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000;
- जल प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरणों को शक्तियां प्रदान करने के लिए अनेक अधिसूचनाएं भी जारी की गई हैं; एवं
- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000.

इस चरण में ऊर्जा के संरक्षण और ऊर्जा के अक्षय (renewable energy) स्रोतों के प्रयोग पर बल दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001** बनाया गया जिसने ऊर्जा कुशलता ब्यूरों की भी स्थापना की। विद्युत अधिनियम, 2003 में ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर विकास को सुनिश्चित करने और अक्षय ऊर्जा के प्रयोग पर बल दिया गया।

उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत, **'प्रतिपूरक वनारोपण प्रबंधन तथा नियोजन एजेंसी' की स्थापना सन् 2004** में की गई थी ताकि वनारोपणस के माध्यम से निर्वनीकरण के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

25.4.4 चौथा चरण (2005 तथा आगे)

यह चरण अग्रसक्रीय अधिकार आधारित दृष्टिकोण से चिन्हित है। अधिकार आधारित दृष्टिकोण वह है जिसमें समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से असहाय वर्ग, के अधिकारोंको सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया जाता है। इनमें ये विधान शामिल हैं : मानवाधिकार अधिनियम, 2003; निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005; अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण और कल्याण अधिनियम, 1995।

उदाहरण के लिए पारम्परिक वन निवासियों के अधिकारों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 में संहिताबद्ध किया गया है। अधिनियम में वन निवासियों की आवश्यकताओं को वन्यजीवन और वनों के संरक्षण की आवश्यकता के साथ समायोजित करने पर बल दिया गया है। वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को सन् 2002 में संशोधित किया गया था और इसमें राष्ट्रीय उद्यानों और सेंचुरीयों के आसपास प्रतिरोधकों के प्रबंधन और श्सामुदायिक आरक्षित निधियोंश की अवधारणा आरंभ करने को कहा गया है।

इस चरण में पर्यावरण प्रभाव आकलन के माध्यम से पर्यावरण पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रहा है।

2006 की अधिसूचना और खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, सम्भलाई और ट्रांसबाउंडरी संचलन) नियम, 2008। 2011 में इलैक्ट्रानिक अपशिष्ट के प्रबंधन की पर्यावरणीय सुदृढ विधियों के लिए ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और सम्भलाई) नियमों को अधिसूचित किया गया था।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, 2010 में कोशिश की गई है कि रियो में किए गए वादों को पूरा गया जाएक और पर्यावरणीय संरक्षण,वनों तथा प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का

प्रभावपूर्ण तथा तीव्र निपटान किया जाए और क्षति के लिए राहत और क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाए। भारत में न्यायपालिका को कानून के व्याख्याता तथा जन हित याचिकाओंके माध्यम से कानून के क्रियान्वयन की भूमिका अदा करनी होगी।

भारतीय न्यायपालिका, सामान्य रूप से, राष्ट्र के मौजूदा कानून के अतिरिक्त लोक-न्यास के सिद्धांत, पूर्वोपाय के सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, कड़े वघनिरपेक्ष दायित्व के सिद्धांत कठोर क्षति सिद्धांत, प्रदूषण दंड सिद्धांत और अन्तररूपीढ़ीय भागीदारी सिद्धांत पर निर्भरहै।

पाठगत प्रश्न 25.4.3 और 25.4.4

1. तीसरे चरण में भारतीय कानून का ध्यान किस ओर केन्द्रित है?
2. जैविक विविधता अधिनियम के मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन का वर्णन करें।
3. किस अधिनियम के अंतर्गत हम समुदायों के स्वदेशी ज्ञान के दुर्विनियोजन का निवारण कर सकते हैं?
4. 'अधिकार आधारित परिदृश्य' से आप क्या समझते हैं।

आपने क्या सीखा

''धारणीय विकास'' प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग तथा उपयोग की दर से संबंधित है। आज यह सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया जा रहा है कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग उस दर से न करें जिससे कि उन्हें दीर्घकाल के लिए बनाए रखना या प्रतिस्थापित करना संभव न हो।

धारणीयता विश्व के उस एकीकृत विचार को महत्व प्रदान करती है जो समुदाय की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज को जोड़ता है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि अर्थव्यवस्था समाज के भीतर ही विद्यमान होती है और समाज पृथ्वी की पर्यावरणीय प्रणाली के भीतर विद्यमान है।

धारणीय विकास की उत्पत्ति सन् 1972 में स्टॉकहोल्म में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से हुए और 2012 में दोहा तक जारी रही।

धारणीय विकास पर कानूनों का निर्माण 1972 से आगे चार चरणों में हुआ। प्रथम चरण : 1972-1983, दूसरा चरण : 1984-1997, तीसरा चरण : 1998-2007 और चौथा चरण : 2005 और आगे।

धारणीयता को प्राप्त करनेमें संरचित संस्थानों जैये विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है।

सरकार, राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा पर्यावरणीय कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा पर्यावरणीय संरक्षण में भारत में न्यायपालिका की भूमिका सराहनीय है।

पाठांत प्रश्न

1. ''धारणीय विकास'' की अवधारणा का वर्णन करें।
2. 'बंटलैंड रिपोर्ट' क्या है? इसमें धारणीयता को किस प्रकार परिभाषित किया गया है?
3. धारणीयता के तीन घटकों को उजागर करने वाले उदाहरणों के माध्यम से 'धारणीय विकास' का वर्णन करें।
4. अधारणीयता के कारणों की पहचान करें।
5. हमें 'धारणीय विकास' की आवश्यकता क्यों है?
6. धारणीयता को प्राप्त करने में संस्थागत तंत्रों का क्या महत्व है?
7. 'स्टॉकहोम घोषणा' की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके महत्व का वर्णन करें।
8. 'रियो घोषणा- एजेंडा 21' की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें।
9. धारणीय विकास पर विश्व शिखर-सम्मेलन (डब्ल्यू.एस.एस.डी) के महत्व पर चर्चा करें।
10. भारतीय पर्यावरणीय कानून के प्रथम चरण की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें।
11. 1984-1997 के दौरान दूसरे चरण में पर्यावरण पर कानूनों के निर्माण में 'भूपाल गैस त्रासदी' के प्रभाव को दर्शाएं।
12. भारतीय पर्यावरणीय कानून के तीसरे और चौथे चरण की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

25.1.1

1. ''धारणीय विकास वह विकास है जो अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है''

   ''धारणीय विकास'' प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग तथा उपयोग की दर से संबंधित है। आज यह सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया जा रहा है कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग उस दर से न करें जिससे कि उन्हें दीर्घकाल के लिए बनाए रखना या प्रतिस्थापित करना संभव न हो।

2. अधारणीयता के कुछ कारण निम्नानुसार हैं :

   i. मानव जनसंख्या में वृद्धि;

   ii. मनुष्य की आवश्यकताओं जैसे ईंधन, चारा और घर को पूरा करने के लिए संसाधनों का अधिक दोहन;

   iii. गतिविधियां जैसे मछली पकड़ना, कृषि, स्वच्छ जल का आवश्यकता से अधिक प्रयोग, निर्वनीकरण तथा औद्योगिकीकरणी।

   iv. भूमि का साफ करना जिसके कारण मृदा निम्नीकरण, प्रदूषण, जैव-विविधता की हानि, निर्वनीकरण, मरूस्थलीकरण, पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है।

   v. बढ़ती हुई बेरोजगारी, स्वास्थ्य संबंधी संकट, सशस्त्र लड़ाइयां, शहरीकरण, गरीबी तथा आय की असामानता जैसे कारकों के कारण सामाजिक अपकर्षण।

25.1.2

1. धारणीयता के घटक हैं - अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज।

2. आर्थिक विकास के कुछ लक्षित क्षेत्र हैं- ग्रामीण विकास, शहरी विकास और उद्योग।

3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है।

4. **'पर्यावरणीय निम्नीकरण'** (Environmental degrations) के निवारण के लिए हम किसानों को पर्यावरण-सहिष्णु कृषि पद्धतियां सिखा सकते हैं जैसे फसल चक्र, प्राकृतिक उर्वरक और कीटनाशक।

25.2.1

1. **'स्टॉकहोम घोषणा',** 1972 में अप्रतिबंधित विकास के परिणामों तथा अनेक वैश्विक समस्याओं के बीच संबंधों को उजागर किया गया था।

2. **'रिया करारों'** पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए धारणीय विकास पर एक आयोग की स्थापना की गई थी और यह स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर अर्थ समिट के करारों की मॉनीटरिंग करता है।

25.2.2

1. सन् 2005 में, **'क्योटा प्रोटोकॉल'** के अंतर्गत करार किया गया जो विकसित देशों को 'ग्रीनहाउस गैस' के उत्सर्जन में कमी लक्ष्य निर्धारित करने और विकासशील देशों के लिए स्वच्छ विकास तंत्र की स्थापना हेतु लक्ष्य निर्धारित करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है।

2. सन् 2007 में **'मांट्रियल प्रोटोकॉल'** के तहत उन तथ्यों के संबंध में करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जो ओजोन परत को समाप्त कर रहे हैं। देशों में हाईड्रो क्लोरोफ्लोरो

कार्बन (HCFC) के प्रयोग को चरणबद्ध आधार पर समाप्त करने पर सहमति हुई थी।

3. दस वर्षीय समीक्षा के लिए सन् 2002 में **धारणीय विकास विश्व शिखर सम्मेलन (WSSD)** आयोजित किया गया। यह सम्मेलन जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। इसमें राष्ट्रों से अनुरोध किया गया था कि वे धारणीय विकास के लिए नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए के लिए कार्य करें और इन्हें सन् 2005 से क्रियान्वित करें।

4. सन् 2012 में **दोहा में संयुक्त राष्ट्र वातावरण परिवर्तन सम्मेलन** आयोजित किया गया था। इस सम्मेलने में 2012 में समाप्त होने वाले क्योटो प्रोटोकाल को 2020 तक बढाए जाने पर सहमति व्यक्त की गई थी।

25.3

1. धारणीय विकास द्वारा पर्यावरणीय प्रणाली की विविधता को संरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है। धारणीय विकास प्राप्त करने के दो महत्वपूर्ण कारक हैं :

   i. भूमि, स्वच्छ-जल और समुद्रीय प्रणालियों में जैविक विवधता का संरक्षण।

   ii. संसाधनों का धारणीय उपयोग और संसाधनों के विनाश को न्यूनतम बनाना।

2. धारणीय विकास की कार्यसूची भी समग्र विकास पर आधारति है। इसका अर्थ है कि विकास के प्रारूप में समाज के सभी वर्ग -प्रबुद्ध, गरीब, पुरूष तथा महिलाएं सभी शामिल हैं। विकास का इस प्रकार का प्रारूप पारितंत्र की विविधता के संरक्षिण की आवश्यकता पर आधारित है।

25.4.1 तथा 25.4.2

1. इस चरण में पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। यह चरण व्यापक स्तर पर सन् 1972 के **'स्टॉकहोम सम्मेलन'** से प्रभावितथा जिसमें सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के लिए पर्यावरण संरक्षणके उपायों को अपनाना अपेक्षित था। वन्य जीवन को सुरक्षित रखने तथा जल व वायु प्रदूषणको रोकने के लिए संवैधानिक संशोधन और विधानों का निर्माण इसकी मुख्य विशेषताएं थीं।

2. **अनुच्छेद 51क (छ)** के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण को सभी नागररिकों का मौलिक दायित्व बना दिया गया है।

3. **'भोपाल गैस त्रासदी'** सन् 1984 में हुई थी।

4. **'रियो घोषणा'**, जिसमें सभी राष्ट्रोंको प्रदूषण तथा अन्य पर्यावरणीय खतरों से पीड़ितों के प्रतिदायित्वों और क्षतिपूर्ति संबंधी काननों को विकसित करने का कहा गया था, की प्रतिक्रिया में दो अधिनियमों को बनाया गया था अर्थात **राष्ट्रीय पर्यावरण**

न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 (निरस्त) तथा राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम। इन्हें बाद में निरस्त करके नए **राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010** से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

25.4.3 तथा 25.4.4

1. इस चरण में सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों के साथ आर्थिक विकास को संयोजित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। जैविक विवधता सम्मेलन (सीबीडी) के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों (टीआरआईपीएस) के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर करार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विधान बनाए गए और मौजूदा विधानों में संशोधन किए गए।
2. जैविक विवधता सम्मेलन (सीबीडी) के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए **जैविक विवधता अधिनियम, 2002** पारित किया गया। विधानों का उद्देश्य देशों का अपने आनुवांशिक तथा जैविक संसाधनों पर स्वायत्त अधिकारों को सुनिश्चित करना और स्वदेशी ज्ञान के धारकों द्वारा जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों की प्राप्त करने की आवश्यकता को स्वीकार करना है।
3. **पेटेंट (संशोधन) अधिनियम,** 2005 में वस्तुओं के स्वदीशी ज्ञान के दुर्विनियोजना को रोकने के लिए उसे गैर-पेटेंटीय बनाकर उसके संरक्ष्ण का प्रावधान है।
4. **'अधिकार आधारित दृष्टिकोण'** वह है जिसमें समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से असहाय वर्ग, के अधिकारों को सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया जाता है। इनमें ये विधान शामिल हैं : मानवाधिकार अधिनियम, 2003; निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005; अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण और कल्याण अधिनियम, 1995 ।